Bank of India
Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र

एम–125, ब्लॉक एम, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

ई–नीलामी बिक्री सूचना

सम्पतियों की ई–नीलामी – 27.03.2026

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तीय असस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल समपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के अधार पर दिनांक **27.03.2026** को पूर्वा.**11.00** बजे से अपरा. **05.00** बजे को बेचा जाएगा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा होगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है

क्र. सं.	शाखा और खाते का नाम	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	कब्जे का प्रकार	कब्जे की तिथि	क. आरक्षित मूल्य (लाख में) ख. ईएमडी (लाख में) ग. बोली वृद्धि राशि (लाख में)	निरीक्षण की तिथि और समय (पूर्वाह्न 11.00 बजे से शायं 05.00 बजे तक)	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और सम्पर्क नं.
1.	दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर जोन मेसर्स द्वारका पोल्ट्री फार्म (मालिक श्री भीम सिंह)	मालिक : श्री भीम सिंह, ग्राम द्वारका पोस्ट डांडमा जिला भिवानी, हरियाणा –127030	1. हैचरी यूनिट्स जिसमें हैचरी शेड और बिल्डिंग शामिल हैं, जो खेवट नंबर 16//9/2, 10/11, 12/1, 19/20/1, गांव श्याम कलां, तहसील बाघड़ा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में श्री भीम सिंह पुत्र श्री किशन लाल के नाम पर बनी हैं, जमीन का एरिया = 3.0 एकड़/24 कनाल है और इसका इस्तेमाल मेसर्स द्वारका पोल्ट्री फार्म द्वारा किया जाता है।	रुपये 453.03 लाख प्लस यू.सी.आ.ई. और अन्य शुल्क	भौतिक	19.01.2022	क) रू. 96.48 ख) रू. 9.65 ग) रू. 1.00	18-03-2026 दोपहर 02.00 बजे से शायं 04.00 बजे तक	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सुबे सिंह 9673790244 पूछताछ के लिए हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755
			2. किला नंबर 93//12, 93//11–12, किला नंबर और किला नंबर 93//19–20 पर बना बॉयलर फार्म/पोल्ट्री फार्म, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12100.0 वर्ग गज या 2.50 एकड़ है और जिसका इस्तेमाल द्वारका पोल्ट्री /फार्म करता है, उसे नीलामी के लिए रखा गया है। सम्पति का कुल क्षेत्रफल लगभग **104k 04m** या 13.0 एकड़ है। कृषि भूमि का हिस्सा है जो खेवट नंबर 106/138, खतौनी नंबर 138, खसरा नंबर 92//5/6,15,16,25,39//1,7/2,10,11, 12,13, 14/1,93//17/3,18,20,21,22/1,26,114/1,2,1/9/2,10/1,10/2,11,115/5,6/16/2,15,371 गांव द्वारका तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी, हरियाणा में स्थित है, जो श्री भीम सिंह पुत्र किशन लाल के नाम पर है।			19.01.2022	क) रू. 69.9 ख) रू. 6.99 ग) रू. 1.00	18-03-2026 दोपहर 02.00 बजे से शायं 04.00 बजे तक	

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रकिया" https://baanknet.com. वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकरण करना चाहिए और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी / आरटीजीएस / ट्रांसफर / चालान फॉर्म (https://baanknet-com) के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।
3) नीलामी की तिथि और समय : 27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक असीमित 05 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।
4) ई–नीलामी जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगा। बोली दाता सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएगें।
5) इच्छुक बोलीकताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–निलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी **BAANKNET** के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 27.03.2026 तक ई–विक्रय पोर्टल https://baanknet.com. पर जमा करना होगा।
6) उच्चतम /सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
7) बोली /खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के अंदर (बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान) या पुरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी /बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
9) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक - https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें
10) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/ गारंटरों /बंधककर्ताओं को अग्रिम में 15 दिनों का नोटिस भी है।
11) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा के संस्करण के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक : 06.03.2026 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

Chola

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 और सी 55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 032, टी.एन.

मांग सूचना

सुरक्षा हित के प्रावधानों के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के आदेश सूचना

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) का अधिनियम प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस जारी किया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत, निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया था। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा चिपकाने और प्रकाशन से प्रभावित हो रही है। मांग नोटिस की विवरण नीचे दी गई है:–

क्र. स.	उधारकर्ता/ओं और सह–उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	ऋण राशि	मांग सूचना की तारीख एवं ओ/एस की राशि.	संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1	**ऋण खाता. संख्या(ओं): सी 1. श्री/श्रीमती कृष्णचंद विश्वकर्मा 2. श्री/श्रीमती मुन्नी केशरी लाल** क्रमांक 1 एवं 2 के लिए पताः– सलेमपुर हरैया, देवरिया उत्तर प्रदेश, एक्सीलेंट जूनियर हाई स्कूल के पास, देवरिया, उत्तर प्रदेश – 274509 क्रम संख्या 1 और 2 के लिए लिए पताः– यह संपत्ति मौजा– अहिराउली पोस्ट, सलेमपुर, जिला– देवरिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274509 में स्थित है। यह एक्सीलेंट स्कूल, देवरिया 274509 के निकट है।	रुपये 18,23,132/–	24.02.2026 21,34,345/– रुपये (सिर्फ इक्कीस लाख चौंतीस हजार तीन सौ पैंतालीस रुपये) दिनांक 20.02.2026	5 दिस्मिल यानी 2180 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह जमीन, जिसका अराजी क्रमांक 288 है, मौजा – अहिराउली, टप्पा– सलेमपुर, परगना– सलेमपुर मझौली, तहसील – सलेमपुर, जिला – देवरिया (उत्तर प्रदेश) में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: • पूवः 13 फुट चौड़ी सड़क, • पश्चिमः त्रिभुवन लाल की जमीन, • उत्तरः उदय राज की जमीन, • दक्षिणः त्रिभुवन लाल की जमीन।

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें। भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है, जो कि उसके द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। उधारकर्ता यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित ऋणदाता सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा। इसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित ऋणदाता को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित ऋणदाता को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित ऋणदाता के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति(संपत्तियों) के निपटान या उसके साथ व्यवहार करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया गया है। सुरक्षित ऋणदाता और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता/–
स्थानः देवरिया, उत्तर प्रदेश, प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक :24.02.2026 चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, केआईएफएस कॉरपोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन – अंबली रोड, बोदकदेव, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
निगमित कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड, पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र, भारत, दूरभाष सं.: 91 22 61796400, ईमेलः contact@kifshousing.com
वेबसाइटः www.kifshousing.com एसीआईएनः यू65922जीजे2015पीएलसी085079 आरबीआई सीओआरः डीओआर–00145

परिशिष्ट IV सांकेतिक आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (केएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) निर्गत की थी जिसमें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित पवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित अनुसार एक राशि तथा राशि पर ब्याज हेतु केआईएफएस के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं/ गारंटरों के नाम तथा एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि/बकाया राशि/शाखा/एलआरएन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण	आधिपत्य सूचना तिथि/प्रकार
1.	1. जुगेंद्र कुवारपाल (आवेदक) 2. शांति देवी (सह–आवेदक 1) 3. राजेश कुमार (सह–आवेदक 2) 4. हरि सिंह (सह– आवेदक 3) एनपीए: 10 दिसंबर, 2025	मांग सूचना तिथि : 26 दिसंबर, 2025 बकाया : रु. 1293538/– शाखा / लैनः अलीगढ/29396/ LNHLALG016708	मकान संख्या 11, गाटा संख्या 1380/2 का हिस्सा, चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवां, ग्राम–जरगवां, परगना और तहसील, थाना कोतवाली जिरौली, तहसील–डिबाई, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, विक्रय पत्र के अनुसार 203399 सीमाएं: पूर्व–20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–देवेंद्र सिंह का खेत, उत्तर–कामता का खेत, दक्षिण–ओमपाल का खेत, साइट के अनुसार पूर्व 1–20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम1–देवेन्द्र सिंह का खेत, उत्तर1–कामता का खेत, दक्षिण1–ओमपाल का खेत	प्रतीकात्मक 02 मार्च, 2026

ऋणकर्ताओं/गारंटरों के लिए सांविधिक सूचना

ऋणकर्ता(ओं)/गारंटरों को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति को यहां इसमें इसके उपरांत किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी/निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इसीलिए इसे प्रतिभूति (हित) प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 6, 8 एवं 9 के अंतर्गत एक सूचना के रूप में भी माना/समझा जा सकता है। विस्तृत वस्तु–सूची (इवेंटरी) एवं पंचनामा बाधाओं के कारण अभिलेखित नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी संपत्ति का फोटोग्राफ खींचा गया है।

दिनांकः 06.03.2026 हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : उत्तर प्रदेश केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सिंडिकेट Syndicate

ई-ऑक्शन सेल नोटिस

ARMB, प्लॉट नंबर - 2 ग्राउंड फ्लोर, होटल डेवेंचर नमस्ते चौक के पास, करनाल,
ऑथराइज्ड ऑफिसर:- मिस्टर रणजीत कुमार, (M) 85728-16290, मेल ID: cb6290@canarabank.com

ई-ऑक्शन सेल नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत चल/अचल प्रॉपर्टीज़ की बिक्री के लिए ई-ऑक्शन सेल नोटिस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 6(2) 8(6) और 9 के प्रोविज़ो के साथ पढ़ा गया।

आम जनता और खास तौर पर बोरोअर (ओं) और गारंटर (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई चल प्रॉपर्टीज, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास मॉर्गेज/चार्ज की गई है, और जिनका कब्जा केनरा बैंक के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उन्हें "जैसी है जहां है", "जैसी है जैसी है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस (बैंकनेट), (8291220220) द्वारा आयोजित नीलामी में, ई-मेल: support.BAANKNET@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com/ के माध्यम से

क्रमांक 01 ई-नीलामी की तिथि 07.04.2026 (दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक) है

क्रमांक 01 ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.04.2026 शाम 5:00 बजे तक है

क्र. सं.	बांध का नाम/कर्जदार/गारंटर का नाम और पता	प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टी का छोटा विवरण	बताई गई तारीख को कुल देनदारियां	रिजर्व कीमत (Rs में)	बयाना जमा (EMD) (Rs में)	खाता नंबर की जानकारी / IFSC कोड / कब्जे का नोटिस
1.	1. मेसर्स न्यू लाइफ इंटरनेशनल, सी/ओ सुशील झा, ग्राउंड फ्लोर 241, सेक्टर 25, रोहिणी, दिल्ली - 110085, 2. श्री सुशील झा पुत्र श्री मोगेंद्र झा, 85-86 दूसरी मंजिल, पॉकेट 9 सेक्टर 25, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, रोहिणी - 110085। 3. श्री भगवान कुमार झा पुत्र श्री सुशील झा, 85-86, दूसरी मंजिल, पॉकेट 9 सेक्टर 25 रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, रोहिणी - 110085	फ्री होल्ड डीडीए बिल्ट अप प्रॉपर्टी यानी पूरी दूसरी मंजिल बिना छत/टेरेस अधिकारों के एक्सक्लूसिव कैटेगरी फ्लैट का एक हिस्सा जिसका एरिया नंबर 85 है और जिसका एरिया 28 वर्ग मीटर है। रोहिणी आवासीय योजना रोहिणी दिल्ली 110085 के लेआउट प्लान में स्थित ब्लॉक और पॉकेट 9 टाइप ए सेक्टर 25 में उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार हैं। फ्री होल्ड डीडीए निर्मित संपत्ति यानी छत/टेरेस अधिकारों के बिना पूरा दूसरा तल, रोहिणी आवासीय योजना रोहिणी दिल्ली 110085 के लेआउट प्लान में स्थित ब्लॉक और पॉकेट 9 टाइप ए सेक्टर 25 में 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले विस्तार योग्य श्रेणी के फ्लैट नंबर 86 का एक हिस्सा, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार हैं।	डिमांड नोटिस दिनांक 02.12.2025 के अनुसार कुल देनदारियां, रु. 63,79,632.49/- साथ ही आगे ब्याज और अन्य शुल्क (वसूली घटाकर, यदि कोई हो)	रु. 85,00,000/-	रु. 8,50,000/-	209272434 / CNRB0006290 / प्रतीकात्मक कब्जा

दूसरे नियम और शर्तें:

A) ऑक्शन/बोली सिर्फ https://BAANKNET.com वेबसाइट के जरिए "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" के जरिए होगी। बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे ई-ऑक्शन सेल की कार्रवाई में हिस्सा लेने से पहले डिटेल्स में शर्तों के लिए वेबसाइट देख लें।
B) प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन, ऑथराइज्ड ऑफिसर से पहले अपॉइंटमेंट लेकर, 04.04.2026 को किया जा सकता है।
C) प्रॉपर्टी का सही मौजूदा और आगे के बोझ के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को पता हों या नहीं। ऑथराइज्ड ऑफिसर/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी थर्ड पार्टी के क्लेम/अधिकार/देनदारी के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। खरीदने वाले को अपनी संतुष्टि के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े सभी पहलुओं पर पूरी जांच करनी चाहिए। बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले, अपने फायदे के लिए, सिक्योर्ड एसेट्स से जुड़े दूसरे डिटेल्स, जिसमें सवाल में मौजूद हक/एसेट सिक्योर्ड एसेट का साइज/एरिया शामिल है, के टाइटल और सही होने के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें और संबंधित अधिकारियों से अपनी संतुष्टि के लिए कोई भी दूसरा बकाया/देनदारियां/बाधाएं भी पता कर लें। खरीदार बाद में इस संबंध में ऑथराइज्ड ऑफिसर/सिक्योर्ड क्रेडिटर के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
D) किसी भी स्कीम के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट होने पर, या अगर खरीदार/बोली लगाने वाले की तरफ से बताई गई समय सीमा के अंदर डिफॉल्ट की वजह से बिक्री पूरी नहीं होती है, तो बैंक तब तक खरीदार/बोली लगाने वाले द्वारा पेमेंट की गई सभी रकम जब्त करने और सिक्योर्ड एसेट(एसे) को अपनी मर्जी से फिर से बेचने का हकदार होगा। इसके अलावा, इस तरह की सेलिंग के कारण बैंक द्वारा किए गए सभी खर्च, लागत डिफॉल्ट करने वाले खरीदार द्वारा वहन और भुगतान की जाएंगी। E) प्रॉपर्टी रिजर्व प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेची जाएगी और हिस्सा लेने वाले बिडर्स ऑक्शन प्रोसेस के दौरान अपने ऑफर की और बेहतर कर सकते हैं।
F) रिजर्व प्राइस का 10% EMD अमाउंट सीधे मेसर्स PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (बैंकनेट) पोर्टल के ई-वॉलेट में या चालान बनाकर RTGS/NEFT के जरिए चालान में बताई गई अकाउंट डिटेल्स में 05.04.2026 को शाम 05:00 बजे तक जमा करना होगा। G) बिड करने वाले बिडर्स के पास एक वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई-मेल एड्रेस होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, सर्विस प्रोवाइडर M/s PSB Alliance (Baanknet), हेल्प डेस्क नंबर (8291220220), ई-मेल: support.baanknet@psballiance.com में वेबसाइट https://baanknet.com/ के जरिए संपर्क करें।
H) EMD अमाउंट का पेमेंट करने के बाद, बोली लगाने वाले लोगों को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स/डिटेल्स की एक कॉपी 06.04.2026 को या उससे पहले ISc No. 1) शाम 05:00 बजे तक केनरा बैंक, ARM ब्रांच, प्लॉट नंबर-2, ग्राउंड फ्लोर, होटल डेवेंचर के पास, नमस्ते चौक, करनाल में खुद या ईमेल से जमा करनी होंगी।
i) EMD अमाउंट के लिए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर। अगर RTGS/NEFT से पेमेंट किया है, तो UTR नंबर के साथ उसकी एकनॉलेजमेंट रसीद।
ii) पैन कार्ड, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी। लेकिन, सफल बिडर को बिड अमाउंट का 25% बाकी पेमेंट करते समय ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप में बैंक को दिखाने होंगे।
iii) बिडर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पता, ईमेल आईडी।
iv) EMD के ऑनलाइन रिफंड के लिए बिडर के अकाउंट की डिटेल्स।
I) जो बिडर बिड करना चाहते हैं, उन्हें अपना नाम पोर्टल https://baanknet.com/ पर रजिस्टर करना चाहिए और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फ्री में लेना चाहिए। जो बिडर बिड करना चाहते हैं, वे सर्विस प्रोवाइडर मेसर्स PSB अलायंस (बैंकनेट), हेल्पडेस्क नंबर - 8291220220 (ई-मेल: support.baanknet@psballiance.com) और श्री मुनिनेश जैन, मोबाइल नंबर 7046612345 (ईमेल animesh@procure247.com) से वेबसाइट https://baanknet.com/ के जरिए ई-ऑक्शन पर ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं।
J) जो बिडर असफल होंगे, उनकी जमा की गई EMD उन्हें वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं होगा।
K) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बोली लगाने वाले अपने प्रस्तावों को 50,000 रुपये के गुणकों में बढ़ाएंगे। ऑनलाइन नीलामी के बंद होने पर सबसे अधिक बोली (आरक्षित मूल्य से अधिक) जमा करने वाले बोली लगाने वाले को सफल बोली लगाने वाला घोषित किया जाएगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन, सफल बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाएगी।
L) सफल बोली लगाने वाले को बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान किए गए ईएमडी सहित) उसे सफल बोलीदाता घोषित करने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यह राशि अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, एआरएमबी शाखा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी नंबर 209272434, IFSC कोड: CNRB0006290. अगर सफल बोली लगाने वाला सेल पाइस नहीं दे पाता है, तो उसका जमा किया गया डिपॉजिट बिना किसी नोटिस के ऑथराइज्ड ऑफिसर जब्त कर लेगा और प्रॉपर्टी को तुरंत फिर से सेल के लिए रख दिया जाएगा।
M) Rs. 50.00 लाख (Rs. Fifties lakh) और उससे ज्यादा की सेल इनकम के लिए, सफल बिडर को सेल इनकम पर 1% की दर से TDS काटना होगा और TDS सर्टिफिकेट की ओरिजिनल रसीद बैंक में जमा करनी होगी।
N) कन्वेयंस, स्टाम्प ड्यूटी/GST/रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह के सभी चार्ज, जो भी लागू हों, सिर्फ सफल बिडर को ही देने होंगे।
O) ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास बिना कोई कारण बताए ई-ऑक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस को पोस्टपोनमेंट/कैंसल करने या बदलने का अधिकार है। P) अगर ऐसे बिडर हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन वे ई-ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वे संबंधित सर्कल ऑफिस या केनरा बैंक, ARMB, प्लॉट नंबर-2, ग्राउंड फ्लोर, होटल डेवेंचर के पास, नमस्ते चौक, करनाल से संपर्क कर सकते हैं, जो एक फैसिलिटेटिंग सेंटर के तौर पर जरूरी इंतजाम करेंगे। Q) ज्यादा जानकारी के लिए, किसी भी वर्किंग डे पर ऑफिस टाइम में मिस्टर रणजीत कुमार, चीफ मैनेजर, केनरा बैंक एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (ARMB), करनाल, फोन नंबर 0184-4041820, 85728-16290 पर कॉन्टैक्ट करें। ईमेल आईडी: cb6290@canarabank.com या सर्विस प्रोवाइडर BAANKNET (M/s PSB Alliance Pvt. Ltd), (कॉन्टैक्ट नंबर 7046612345/6354910172/8291220220/9892219848/8160205051, ईमेल: support.BAANKNET@psballiance.com)।

खास निर्देश/सावधानी

बोली लगाने वालों को अपने फायदे के लिए आखिरी मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोली लगाने वाले या बिडर की तरफ से किसी भी तरह की मिसकॉन्फिगुरेशन (इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर फेलियर, वगैरह) के लिए न तो केनरा बैंक और न ही सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार होगा। ऐसी अचानक आने वाली स्थिति से बचने के लिए, बोली लगाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे बैंक-अप, पावर सप्लाई और जो भी जरूरी हो, सभी जरूरी इंतजाम/विकल्प कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में कामयाबी से हिस्सा ले सकें।

SARFAESI ACT, 2002 के तहत कानूनी 30 दिन का सेल नोटिस

तारीख: 05.03.2026 जगह:- करनाल प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै-600002

सार्वजनिक सूचना

नए आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार टीडीएस/टीसीएस में सुधार करवाने की समय–सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना:

- 01.04.2026 से प्रभावी, क्यू4 2018–19 से क्यू3 2023–24 की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के टीडीएस/टीसीएस में सुधार करवाने यानी पैन में